न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

R. 2770-II/14

श्री त्रिभुवन प्रसाद चतुर्वेदी एड. द्वारा पेश। 6.8.14
6.8.14

445
6.8.14

दा फाइल हेतु
21-8-14

राम विहारी तनय रामदास सोनी निवासी ग्राम मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0 ---- आवेदक

बनाम

राजबहादुर सिंह तनय प्रयाग सिंह चौहान साकिन मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0 ------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 बाबत प्रकरण क्रमांक 266/अपील/2008-09 आदेश दिनांक 22.7.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है. -

(1) यह कि अधीनस्थ अपीली न्यायालयों का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

(2) यह कि प्रथम एवं द्वितीय अपीली न्यायालयों ने पंजी क्रमांक 37 वर्ष 1976-77, 1979-80 में आराजी नम्बर 555/1/887 रकबा 0.05 एवं पंजी क्रमांक 10 वर्ष 1982-83 से रकबा 0.03 का नामान्तरण बजाय

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2770/II/15 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-12-15	आवेदक अधिवक्ता श्री त्रिभुवन प्रसाद चतुर्वेदी उप०। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता के संबंध में सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर ग्राह्यता पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया गया तथा प्रकरण के संलग्न आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि आवेदक राजबहादुर सिंह द्वारा तह० के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि में अंकित रकबा 0.08 हे० के स्थान पर 0.05 हे० सुधार करने का आवेदन पत्र दिया गया, तहसीलदार द्वारा सुधार न कर यह अंकित करते हुए कि अनावेदक का घर बना है, आवेदन प्रचलन योग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश के विरुद्ध अपील अनु० अधि० के न्यायालय में हुई जहां अनु० अधि० द्वारा अपने आदेश दिनांक 18-2-09 से प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया। अनु० अधि० के आदेश दिनांक 18-2-09 के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 22-7-14 से अपर आयुक्त द्वारा यह अंकित करते हुए कि तहसीलदार द्वारा अभिलेखों का अवलोकन ठीक से नहीं किया गया, गलत प्रविष्टि को ठीक करना राजस्व न्यायालय का कर्तव्य है तहसीलदार को देखना चाहिए था कि रकबा 0.05 हे० के स्थान पर रकबा 0.08 हे० कैसे अंकित हुआ, किन्तु तहसीलदार द्वारा	

[कृ. प. उ.

R-2770/11/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि॰ त्रकों आदि के हस्ताक्षर
रामविहारी	रामबहादुर	

इस बात पर विचार नहीं किया गया।

अपर आयुक्त द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनु० अधि० के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 18-2-09 को स्थिर रखते हुए अपील को निरस्त किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर टीक से कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18-2-09 को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, वैसे भी प्रत्यावर्तन आदेश से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई सम्भावना वर्तमान में नहीं है क्योंकि तहसील न्यायालय में पुनः विधिवत सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उभयपक्ष के लिये उपलब्ध है। अतः अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 22-7-14 विधि संगत होने से यथावत रखा जाता है तथा यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा० रि० हो।

सदस्य 18-12-15

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.